रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 10, 2009/पौष 20, 1930

No. 60] NEW DELHI, SATUREDAY, JANUARY 10, 2009/PAUSA 20, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2009

का.आ. 111(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 कर धारा 11क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना/विकास क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो, तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकता है । आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे ।

प्रस्तावित संशोधन :

क्रम सं.	दि.मु.यो.-2021 की पृष्ठ सं./पैरा/खण्ड सं.	प्रस्तावित संशोधन
1.	पृष्ठ सं. 28 उप-पैरा 4.4.3 बी (5) आवासीय प्लॉट-समूह आवास	"ऐसे फ्लैटों का कारपेट क्षेत्रफल 25-40 वर्ग मीटर के बीच होना चाहिए" वाक्य के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए :— यह 15% फर्श तल अनुपात अथवा समाज सेवी कर्मियों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए और निम्न श्रेणी आवासों की आवासीय इकाइयों का 35% (i) ए,बी,सी. में वर्णित 200 अनुमेय फर्श तल अनुपात और सघनता के अतिरिक्त होगा ।

[एफ. 3(24)2008-एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th January, 2009

S.O. 111 (E).—The following modification which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make the Master Plan/Zonal Development Plan under Section 11A of DD Act, 1957 for Delhi is herey published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Principal Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block,

Vikas Sadan, New Delhi-110023 within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his/her name and address.

PROPOSED MODIFICATION :

S.No.	Page No./para/Clause No. MPD-2021	Propsed Modification
1.	Page No. 28 Sub-Para 4.4.3B(v)	At the end of this sub-para, the following may be added :— This 15% FAR or 35% of the Dwelling Units for Community—Service Personnel/EWS and lower category housing would be over and above 200 permissible FAR and density mentioned at (i) a, b, c. Employer housing of Central Government, State Government and other Government agencies are exempted from following the provision of the requirement of FAR or Dwelling Units for community service personnel/EWS and lower income category.

[F.3(24)2008-MP]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2009

का.आ. 112(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो, तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकता है । आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे ।

प्रस्तावित संशोधन :

क्रम सं.	दि.मु.यो.-2021 की पृष्ठ सं./पैरा/खण्ड सं.	प्रस्तावित संशोधन
1.	पृष्ठ सं. 22 उप-पैरा 4.2.3.3 शहरी निर्धनों के लिए नये आवास	इस उप-पैरा के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए :— केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी अभिकरणों के नियोक्ता आवासों को समाज-सेवी कर्मियों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय श्रेणी के लिए आवासीय इकाइयों के फर्श तल अनुपात या आवासीय इकाइयों की अपेक्षा का पालन करने की आवश्यकता नहीं हैं ।
2.	पृष्ठ सं. 28 उप-पैरा 4.4.3 बी (5) आवासीय प्लाट — समूह आवास	इस उप-पैरा के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए :— केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी अभिकरणों के नियोक्ता आवासों को समाज-सेवी कर्मियों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय श्रेणी के लिए आवासीय इकाइयों के फर्श तल अनुपात या आवासीय इकाइयों की अपेक्षा का पालन करने की आवश्यकता नहीं हैं ।

[एफ. 3 (24) 2008-एम.पी]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th January, 2009

S.O. 112 (E).—The following modification which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi under Section 11A of DD Act, 1957 is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Principal Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi -110023 within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his/her name and address.

PROPOSED MODIFICATION :

S.No.	Page No./para/Clause No. MPD-2021	Proposed Modification
1.	Page No. 22 Sub-para 4.2.3.3 New Housing for urban poor	At the end of this sub-para, the following is added :— Employer housing of Central Government, State Government and other Government Agencies are not required to follow the requirement of FAR or dwelling units for community service personnel/ EWS and lower income category.
2.	Page No. 28 Sub-para 4.4.3B(v) Residential Plot-Group Housing	At the end of this sub-para, following is added : Employer housing of Central Government, State Government and other Government Agencies are not required to follow the requirement of FAR of dwelling units for community service personnel/EWS and lower income category.

[F.3(24)2008-MP]
V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.